बांस कटाई के मानक नियम

समस्त उपचार प्रकारों में बांस कटाई निम्नलिखित नियमों के अधीन की जायेगी ।

3.1 कटाई एवं उपचार निष्पादन की विधि:-

बांस कूप के सीमाकन के पश्चात 1:15000 के स्केल पर एक उपचार मानचित्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा । यह कार्य परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं उप वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा । इस उपचार मानचित्र की एक-एक प्रति वनमंडल कार्यालय एवं परिक्षेत्र कार्यालय में संधारित कक्ष इतिहास पत्रावली में लगाई जाएगी । तीसरी प्रति कूप विदोहन पुस्तिका में लगाई जाएगी । इस उपचार मानचित्र में पृष्ठ क्रमांक 4-5 अनुसार तीनों उपचार प्रकार दिखाये जाऐंगे ।

3.2 बांस कूपों का सेम्पल प्लाट सर्वे:-

बांस के वार्षिक कूपों से अनुमानित उत्पादन की गणना हेतु सेम्पल प्लाट सर्वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (कक्ष उत्पादन) के पत्र क्रमांक/उत्पादन/3410 दिनांक 31.07.2009 द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार किया जाएगा । यदि उपरोक्त सर्वेक्षण विधि में कोई संशोधन होता है तो मुख्यालय के नवीनतम निर्देशानुसार सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा ।

3.3 बांस कूपों में कटाई के संबंध में निर्देश:-

3.3.1. बांस की कटाई 15 अक्टूबर के बाद की जाएगी । 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक बांस की कटाई प्रतिबंधित रहेगी । यथासंभव बांस कटाई का कार्य मार्च माह के अंत तक पूरा कर लिया जाना चाहिए ।

3.3.2. कटाई प्रारंभ करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:-

- यथा संभव भिर्रो के परिधि के बांसो को नहीं काटा जायेगा ।
- कटाई केन्द्र से शुरू कर परिधि की ओर की जायेगी ।

3.3.3. बांस की कटाई का क्रम 4 वर्ष होगा वार्षिक कूप चार खण्डों में विभाजित किया जायेगा और खण्डों के अनुसार कटाई का कार्य होगा जैसे अग्रिम दूसरे खण्ड की कटाई की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि पहले खण्ड की कटाई का कार्य पूर्णत: संतोषप्रद रूप से इन नियमों के अनुसार न हो जाये एवं उप वन मंडलाधिकारी द्वारा इसे प्रमाणित न किया जावे ।

3.3.4. निकाले जाने वाले बांसो की प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा:-

- सूखा, जला, सड़ा एवं क्षतिग्रस्त बांस ।
- जीवित बांसों में से सर्वप्रथम टूटे एवं टेड़े मेड़े बांस ।
- इसके उपरांत न्यूनतम छोड़े जाने वाले बांसों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शेष बांसों का पातन नियमानुसार किया जावेगा ।

3.3.5. जीवित अपरिपक्व बांस का तना जैसे करला या प्रचलित ऋतु का बांस का तना और महिला या पूर्व ऋतु का बांस तना नहीं काटा जाएगा ।

3.3.6. बांस का (Rhixome) राईजोम नहीं खोदा जाएगा ।

3.3.7. एसे बांस कुंज जिसमें दसे से कम जीवंत बांस के तने हो जिसमें करला और महिला शामिल है नहीं काटे जाएंगे ।

3.3.8. (i) जहां बांस के तने काटे जाएंगे वहां भूमि की सतह के ऊपर की ऊचाई 15 से.मी. कम या 45 से.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए और किसी भी दशा में प्रथम गठान (Internode) से कम नह हो।
(ii) बांस की कटाई के समय ध्यान रखा जावे कि एक बांस से दूसरे बांस के बीच की अधिकतम दूरी 25 से.मी. होना चाहिए ।

3.3.9. तेज धार वाले औजार से काटा जाएगा जिससे कि ठूंठ न बिखरे ।

3.3.10. सभी कटे हुए मलबे कुंज से कम से कम एक मीटर दूर हटा दिये जायेंगे ।

3.3.11. करला एवं महिला बांस किसी भी दशा में पट्टा बांधने के लिये बंधन नहीं बनाये जायेंगे ।

3.3.12. एक भिर्रे में रोके जाने वाले बांस की न्यूनतम संख्या स्थल गुणवत्ता वर्ग के आधार पर निम्नानुसार होगी:-

- ❖ प्रथम श्रेणी- 20 बांस
- ❖ द्वितीय श्रेणी-15 बांस
- ❖ तृतीय श्रेणी- 10 बांस

3.3.13. करला बांस से दुगने संख्या में अन्य बांस रोका जाएगा । जिसमें महिला बांस पूर्णतः सुरक्षित रहेगा ।

उदाहरण

उदाहरणार्थः- जिस भिर्रे में 5 करला, 6 महिला एवं 9 पकिया हैं, उनमें करला बांस के अलावा,5×2=10 बांस और रोकना होगा । इसमें 6 महिला पूर्णतः रोका जायेगा । अतः (10-6)=4 और पकिया बांस रोकने के बाद 9-4=5 पकिया बांस काटने हेतु उपलब्ध होगा । कुल रोके गये बांस 15 हैं,साईट क्वालिटी III के न्यूनतम संख्या 10 से अधिक है । द्वितीय स्थिति में यदि करला 4 महिला 5 पकिया है,तो 3 करला के अतिरिक्त 3×2=6 बांस और रोकना है । 4 महिला को रोकने के बोद 6-4=2 पकिया रोका जाना है । अतः 3+6=9 बांस रोकना है 5-2=3 पकिया काटा जा सकता है । परन्तु न्युनतम संख्या 10 पूर्ण न होने के कारण 9 बांस रोकने के बजाए 10 बांस रोकना है । अतः पकिया 5 में से 2+1=3 रोका जाएगा ताकि रोके गये बांस 10 हो

यदि उपयोक्त स्थिति में पकिया बांस 5 के स्थान पर मात्र 1 है तो न्यूनतम संख्या 10 को पहुचनेके लिए जीवति बांस ठूंठ यदि उपलब्ध हो तो उसे भी भिर्रो के सहारा के लिये रोका जाएगा ।

3.3.14 व्यापारिक उद्देश्य हेतु पृष्ठ क्रमांक 2 के बिन्दु 1.5 में किये गये प्रावधान अनुसार न्यूनतम अथवा इससे कम बांस वाले भिर्रे में पातन नहीं किया जायेगा । केवल टूटे, सूखे, मृत, बुरी तरह क्षतिग्रस्त अति परिपक्व बांस ही काटे जायेंगे ।

3.3.15. भिर्रो में पातन के समय रोके जाने वाले बांस यथा संभव समुचित अंतराल एवं बाहरी परिधि पर निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में होना चाहिए:-

- ❖ करला बांस
- ❖ महिला बांस
- ❖ तरूण हरे बांस
- ❖ पुराने जीवित बांस
- ❖ बांस के ठूंठ एवं
- ❖ अन्य उपलब्धता अनुसार

3.3.16. जहां भिर्रो की परिधि सीमा आसानी से विदोहन की जा सके वहीं इसे स्वतंत्र भिर्रा माना जाएगा । जहां कही ऐसा विभेदन संभव न हो तो एक मीटर की परिधि के अंदर आने वाले भिर्रो को एक भिर्रा माना जायेगा ।

3.3.17. बांस वनों में अग्नि सुरक्षा नियमों का कठोरता से पालन किया जावेगा ।

3.3.18. पिछले खुले मौसम में कार्य किये गए, बांस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान चराई की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4.1. <u>बांस का पुष्पन:-</u>

बांस में पुष्पन दो प्रकार का होता है:-

1. छुट-पुट पुष्पन (Sporadic Flowering)
2. सामूहिक पुष्पन (Gregarious Flowering)

4.1.1. <u>छुट-पुट पुष्पन:-</u>

इस प्रकार का पुष्पन क्षेत्र में यत्र-तत्र दूर फैले प्रतिवर्ष देखने में पाया जाता है । इस प्रकार के पुष्पन में केवल कुछ भिर्रे में ही पुष्पन होता है । पुष्पन पश्चात भिर्रा आवश्यक नहीं है कि पूर्ण रूप से सूख जावे । यह भी आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण भिर्रे में पुष्पन हो । इस प्रकार का पुष्पन अनयिमित अंतराल के उपरांत हर दूसरे तीसरे वर्ष पाया जाता है ।

4.1.2. <u>सामूहिक पुष्पन:-</u>

यदि किसी कक्ष के 50 प्रतिशत से अधिक भिर्रे एक साथ पुष्पित हुये हों तथा कक्ष का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से कम न हो तो इसे सामूहिक पुष्पन माना जायेगा । इस प्रकार के पुष्पन में बांस वन क्षेत्र के लगभग सभी भिर्रे पुष्पित होते हैं तथा संपूर्ण भिर्रा पुष्पित होता है । पुष्पन पश्चात भिर्रा सूख जाता है । सामूहिक पुष्पन एक निश्चित अंतराल के पश्चात पाया जाता है तथा किसी क्षेत्र में संपूर्ण सामूहिक पुष्पन में 2 से 4 वर्ष का समय लग जाता है ।

बांस प्रजाति के प्रत्येक प्राप्ति स्थान (Provenance) के अनुसार बांस पुष्पन का चक्र निश्चित अवधि के बाद आता है तथा यह उस प्राप्ति स्थान के पादन क्रिया चक्र (Physological cycle) के अनुसार निर्धारित होता है । किसी एक प्रजाति के पुष्पन अक्टूबर से फरवरी माह में होता है तथा मार्च-अप्रैल में बीज तैयार हो जाते है । यह देखने में आया है कि पुष्पित होने वाले भिर्रो में पुष्पन शुरू होने के पूर्व सामान्यता: उस भिर्रे में करला नहीं आता है । पुष्पित भिर्रो में महिला तथा पकिया सभी में पुष्पन होता है । सामान्यत: पुष्पन किसी क्षेत्र विशेष समूह में होता है तथा उस क्षेत्र में नाले के किनारे के क्षेत्र में पुष्पन पहले देखने में पाया जाता है । सामान्यत: यह भी पाया गया है कि पुष्पन के पूर्व शाखाएँ झाड़ीदार होती हैं तथ उनकी वृद्धि कम हो जाती है, बांस का रंग हल्का होने लगता है तथा पीलापन बढ़ने लगता है तथा उनकी वृद्धि कम हो जाती है, बांस में सफेद या पीले रंग की धारियॉं दिखने लगती है । रसायनिक परिवर्तन के रूप में स्टार्च की मात्रा राइजोम में बढ़ जाती है । पुष्पन के पश्चात कार्बोहाईड्रेट की मात्रा कम होने लगती है । पुष्पन के दौरान रिड्यूसिंग सुगर की मात्रा बढ़ जाती है । सेलूलोज पुष्पन के दौरान कम हो जाता है । लिग्निन की मात्रा पुष्पन पश्चात 40 प्रतिशत बढ़ी हुई देखी गयी है ।

4.2. पुष्पन बांस में कटाई के नियम:-

4.2.1. पुष्पित बांस क्षेत्र में अग्नि बचाव एवं चराई नियंत्रणः- कार्य किये गये पातनाशों में वनों को आग से बचाया जायेगा तथा 2 वर्षो तक चराई से प्रतिबंधित रखा जायेगा ।

बांस की कटाई सम्पूर्ण कूप में होनी चाहिए । कई बार दुर्गम क्षेत्रों में कम या कोई पातन नहीं होता । इसको नियंत्रण करने के लिए कार्य के बाद राजपत्रित अधिकारी कूप का निरीक्षण करेंगे एवं प्रमाण पत्र कि कटाई का कार्य पूर्ण क्षेत्र में एवं नियमानुसार हुआ है । कटाई सेक्शन वार होगी । सेक्शन क्रमांक 1 की कटाई के राजपत्रित अधिकरी के प्रमाण पत्र के पश्चात ही सेक्शन क्रमांक 2 की कटाई होगी तथा सेक्शन क्रमांक 2 का कटाई प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही सेक्शन क्रमांक 3 की कटाई होगी । यही कार्यवाही सभी सेक्शन की कटाई पर लागू होगी । उक्त प्रमाण पत्र निरीक्षण उपरांत उप वन मंण्डलाधिकारी द्वारा जारी किये जाएंगे ।

4.2.2 छुटपुट पुष्पन कूप (Sporadic Flowering) के भीतर सभी पुष्पित बांस भिर्रे जिसमें बीज गिर चुके हो पूर्णपातन किया जावेगा ।

4.2.3. सामूहिक पुष्पनः- यदि किसी कक्ष में 50 प्रतिशत से अधिक भिर्रे एक साथ पुष्पित हों तथ कक्ष का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से कम न हो तो इसे सामूहिक माना जायेगा । सामूहिक पुष्पन में कार्य करने के लिए समक्ष अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाना चाहिए । सामूहिक पुष्पन की स्थिति में सभी पुष्पित भिर्रो जिनके बीज झड़ गये हों का निशेष पातन किा जाएगा । उक्त पातन श्रेणी में कार्य आयोजना में प्रस्तावित कूप का विदाहन निलम्बित हो जाएगा । ऐसे बांस के विदोहन की शीघ्र व्यवस्था की जाएगी । जिससे इनकी गुणवत्ता के हास एवं अग्नि जोखिम को कम किया जा सके ।

4.2.4. जानवरों हेतु अथवा अन्य कार्य हेतु बांस की छटाई (Lopping) पूर्णतया प्रतिबंधित होगा ।

(डॉ. पी.बी. गंगोपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल